न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 74 / 2024

श्री महेन्द्र कुमार टेलर निवासी न्यायालय के सामने नैनवा जिला बून्दी राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 09.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 श्रीमति शशि कला पुत्री श्री जगदीश प्रसाद टेलर हाल मुकाम जैन मन्दिर के सामने मालपुरा टोंक आधार नम्बर 4140 7965 4511 मो. न. 9252218683 पी.एस. किशान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिलने के पत्र कमांक प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक के पत्र कमांक LR6/f(6)RTI/mahindra/EsiteN./EF 6140/2024/4496 दिनांक 9.10.2024 के पत्र द्वारा प्रार्थीया data-beneficiary status चैक करने पर duplicate adhar प्रथम-स्तर से ही निरस्त करना बताया था। जिसके बाद प्रार्थीया द्वारा मुल आधार को प्रथम स्तर पर ही अपलोड करवा दिया है। अतः श्रीमान पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना के स्वीकृत आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1962 दिनांक 24.12.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 27 दिनांक 02.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 5577 दिनांक 20.12.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)